सार-समाचार

नैनवां में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया शुरू

नैनवां (निसं)। महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में सत्र 2026-27 के लिए नए प्रवेश की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। शहर नैनवां के अंग्रेजी माध्यम के दोनों राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक प्रवेश दिए जाएंगे। संस्था प्रधान गिरिराज प्रसाद मेरोठा ने बताया कि प्रवेश के लिए 11 मार्च 2026 को विज्ञिप्त जारी कर दी गई है। प्रवेश आवेदन 14 मार्च 2026 से 23 मार्च 2026 तक भरे जाएंगे। अभिभावक पोर्टल पर ऑनलाइन अथवा क्यूआर कोड के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि निर्धारित समय सीमा के अनुसार पूरी प्रवेश प्रक्रिया पूरी की जाएगी। 24 मार्च 2026 को प्राप्त सभी आवेदनों और कक्षावार रिक्त सीटों की जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। इसके बाद 25 मार्च 2026 को ऑनलाइन लॉटरी निकालकर विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। केवल रिक्त सीटों के आधार पर ही लॉटरी से चयनित विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। विद्यालय प्रशासन ने अभिभावकों से निर्धारित समय में आवेदन करने की अपील की है। प्रवेश से संबंधित अधिक जानकारी के लिए अभिभावक विद्यालय समय में विद्यालय की प्रवेश समिति से संपर्क कर सकते हैं।

जुमातुल अलविदा का जुमा आज

बून्दी (निसं)। शहर सहित जिले भर में जुमातुल अलविदा 13 मार्च को मनाया जाएगा। इसी को लेकर कादरी हाउस में शहर काजी पीरजादा अब्दुल शकूर कादरी की सदारत में शहर के प्रमुख लोगो से चर्चा की जिसमे रमजान माह के चौथे जुम्मे को जुमातुल अलविदा मानने का फैसला किया गया। बून्दी जिला वक्फ कमेटी सचिव मौलाना असलम ने बताया कि रमजान माह का चौथा जुमा 13 मार्च को जुमातुल अलविदा मनाया जाएगा। क्योंकि रमजान माह का आखरी जुमा 30वे रोजे के दिन होने से हो सकता है 29वां चांद दिखाई देने पर 20 मार्च को ईद हो सकती है और अगर 29वा चांद नहीं दिखाई देने पर 13 मार्च को मनाया जाने वाला जुमातुल अलविदा का जुमा और जुमा की तरह आम होगा फिर उस सूरत में 20 मार्च को जुमातुल अलविदा माना जायेगा। इसलिए 13 मार्च को मुस्लिम समाज जुमातूल अलविदा की नमाज अदा करेंगे। शहर सहित जिले भर की मस्जिदों में शुक्रवार को जुमातुल अलविदा आखिरी जुम्मा की नमाज अदा की जायेगी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग देश में खुशहाली भाईचारे अमन चैन के लिए दुआ मांगेगे।

40 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त

नैनवां (निसं)। नगर पालिका नैनवां की टीम ने शुक्रवार को प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए विभिन्न दुकानों से करीब 40 किलो प्लास्टिक की थैलियां और 2600 से अधिक अन्य प्लास्टिक सामग्री जब्त की। यह कार्रवाई स्वायत शासन विभाग के निर्देशों के तहत अधिशासी अधिकारी के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा की गई। नगर पालिका टीम ने कस्बे के विभिन्न बाजारों में पहुंचकर दुकानदारों को सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने के लिए समझाइश भी दी। साथ ही कचरा पात्र व कपड़े के थैले वितरित कर दुकानदारों को स्वच्छता बनाए रखने और पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक किया गया। कार्रवाई के दौरान जिन दुकानों पर प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग पाया गया, वहां से प्लास्टिक जब्त कर आगे से इसका उपयोग नहीं करने की हिदायत दी गई। नगर पालिका प्रशासन ने आमजन और व्यापारियों से सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद करने और पर्यावरण संरक्षण में सहयोग करने की अपील की है। इस दौरान टीम प्रभारी विजय कुमार नवलखा, सह प्रभारी राहुल जैन, आत्माराम मीणा, हरिशंकर मीणा सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।

नकली नोट की गड्डी थमाकर वृद्ध महिला से सोने के गहने ठगे

कोटा, (निसं)। नयापुरा थाना इलाके में एक वृद्ध महिला को नकली नोटो की गड्डी थमाकर कर सोने के गहने ठगने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने इसकी शिकायत नयापुरा थाने में दर्ज कराई है। जानकारी के अनुसार नयापुरा निवासी ममता जो कलेक्ट्री परिसर में साफ-सफाई का काम करती है, गुरूवार सुबह घर से काम पर जाने के लिये निकली थी, रास्ते में अज्ञात व्यक्ति ने उसे रोका और बातचीत की। अज्ञात व्यक्ति ने महिला को अपनी बातों मे फंसा लिया और उससे कहा कि वह अपने सोने के गहने कुछ समय के लिये उसको दे तो वह उसे बदले में ज्यादा रूपये देगा। महिला ने उसकी बातों में आकर गले से सोने का लॉकेट दे दिया, जिस पर अज्ञात व्यक्ति ने महिला को 500-500 रूपयों के नोटो की गड्डी थमा दी और कुछ देर में आने को कहकर फरार हो गया बाद में महिला ने जब नोटों की गड्डी देखी तो नकली नोट देखकर महिला के होश उड़ गये। नयापुरा थानाधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि पीड़िता ने थाने में नकली नोट देकर उसके गले से सोने का लॉकेट ठगने की शिकायत दी है। पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर घटना के आस-पास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे है, मामले में आरोपी ठग की तलाश की जा रही है।

बकाया कटे हुए बिजली बिल पर 50 प्रतिशत छूट, 13 से 15 तक आयोजित होंगे शिविर

छबड़ा (निसं)। बिजली निगम द्वारा उपभोक्ताओं से 14 मार्च तक बकाया कटे हुए बिजली बिल जमा कराने पर लोक अदालत के तहत अधिकतम 50 प्रतिशत तक छूट दी जा रही है। बिजली निगम के सहायक अभियंता जयेंद्र झाला ने बताया कि उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए 13 से 15 मार्च तक कस्बे में स्थित बिजली निगम कार्यालय में प्रतिदिन शिविर लगाए जाएंगे। शिविर में उपभोक्ता कटे हुए बकाया राशि जमा कर छूट का लाभ ले सकते हैं। साथ ही त्रुटिपूर्ण बिलों से संबंधित समस्याओं का मौके पर समाधान भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिन उपभोक्ताओं के कनेक्शन बकाया के कारण कटे हुए हैं, वह भी इस योजना का लाभ लेकर बकाया राशि का निपटारा कर सकते हैं। 15 मार्च तक भुगतान नहीं करने पर बकाया राशि चालू बिल में जोड़ दी जाएगी या फिर कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जा सकती है।

सफाई कर्मियों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा शिविर का आयोजन

छबड़ा (निसं)। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह कार्यक्रम के अंतर्गत नगर पालिका द्वारा महिला सफाई कर्मियों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में नगर पालिका की महिला अधिकारी एवं महिला सफाई कर्मियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया तथा अपने स्वास्थ्य की निःशुल्क जांच करवाई। कार्यक्रम का उद्देश्य स्वच्छता व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली महिला कर्मियों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना एवं उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना रहा। इस अवसर पर महिलाओं को नियमित स्वास्थ्य जांच, स्वच्छता एवं स्वस्थ जीवनशैली के प्रति भी प्रेरित किया गया। कार्यक्रम के अंत में सभी महिला अधिकारियों एवं महिला सफाई कर्मियों द्वारा अधिशाषी अधिकारी संदीप गहलोत का इस सराहनीय पहल के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आभार व्यक्त किया गया।

बंदियों के अधिकारों के बारे में जानकारी दी

छबड़ा (निसं)। तालुका विधिक सेवा समिति के तत्वावधान वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम-एक संयोगिता द्वारा उपकारागृह में बंदियों के अधिकारों के बारे में जानकारी दी और बताया ही कि जेल में बंद व्यक्ति भी मानव अधिकारों से पूरी तरह वंचित नहीं होता। उसे संविधान और कानून के अनुसार कुछ अधिकार मिलते हैं। उन्हें यहां जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, वकील से मिलने का अधिकार, स्वास्थ्य और इलाज का अधिकार, परिवार से मिलने का अधिकार, जबरदस्ती काम नहीं कराया जा सकता, शिक्षा और सुधार का अधिकार, अत्याचार से सुरक्षा आदि के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर उपकारापाल हनुमान बैरवा, बलराम मीणा तालुका स्टाफ एवं उपकारागृह स्टाफ उपस्थित रहा।

श्रीमद्भागवत कथा 21 मार्च से

छबड़ा (निसं)। श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन मंडखो बालाजी धाम पर 21 मार्च से कथावाचक पंडित शिवदयाल भार्गव के मुखारविंद से किया जाएगा। राजकुमार नामदेव ने बताया की कथा का आयोजन 21 मार्च से 28 मार्च तक दोपहर 1 बजे से शाम 4 तक किया जाएगा। इसके चलते शनिवार को नामदेव (दर्जी) समाज मंदिर से शोभायात्रा प्रारंभ होगी, जो मुख्य मार्गो से होती हुई कार्यक्रम स्थल तक जाएगी।

डीसीएम श्रीराम लिमिटेड को बेस्ट एम्पलॉयर अवॉर्ड मिला

कोटा, (निसं)। एम्पलॉयर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के 61वें स्थापना दिवस के अवसर पर होटल क्लार्क्स, आमेर, जयपुर में आयोजित एक भव्य समारोह में गुरूवार को डीसीएम श्रीराम लि., कोटा को उत्कृष्ट सर्वांगीण प्रदर्शन हेतु वर्ष 2025 का बेस्ट एम्पलॉयर अवॉर्ड प्रदान किया गया।

यह अवॉर्ड उद्योग एवं वाणिज्य, कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता मंत्री, कृष्ण कुमार बिश्नोई तथा सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन विभाग के राज्य मंत्री, गौतम कुमार दक द्वारा डीसीएम श्रीराम लि. के सीनियर वाइस प्रेसीडेन्ट एच.आर., निगम प्रकाश को प्रदान किया गया।

उपरोक्त समारोह में एम्पलॉयर्स एसोसिएषन ऑफ राजस्थान के अधिकारीगण एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। यह पुरस्कार वृहद श्रेणी में कर्मचारियों एवं नियोक्ता के मध्य सौहार्दपूर्ण वातावरण स्थापित करने, प्रभावशाली उत्पादकता स्तर, व्यवसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, कौशल विकास, नवाचार एवं सामाजिक उत्तरदायित्व हेतु डीसीएम श्रीराम लि., कोटा को प्रदान किया गया है।

डीसीएम श्रीराम लिमिटेड को बेस्ट एम्पलॉयर अवार्ड प्रदान किया गया है।

भाटिया कंपनी के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर प्रेम जे- भाटिया बेस्ट एम्प्लॉयर-2026 एसएमएसई केटेगरी अवार्ड से सम्मानित

कोटा, (निसं)। एम्पलॉयर एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के 61वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर होटल क्लार्क आमेर जयपुर मे आयोजित भव्य अवार्ड सेरेमनी में भाटिया कंपनी के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर प्रेम जे- भाटिया को बेस्ट एम्पलायर-2026 (एसएमएसई केटेगरी) अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड राजस्थान के कौशल रोजगार और उद्यमिता मंत्री के.के. बिश्नोई और सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक द्वारा प्रदान किया गया।

इस अवसर पर आयोजित समारोह में एम्पलॉयर एसोसिएशन ऑफ राजस्थान जयपुर की कोर टीम से अध्यक्ष एन.के.जैन, सचिव एस.के. पाटनी एवं उद्योग जगत के अनेक गणमान्य व्यक्तियों, उद्यमियों तथा संगठन के पदाधिकारियों की उपस्थिति रही।

कार्यक्रम के दौरान भाटिया को यह प्रतिष्ठित अवार्ड प्रदान करते हुए उनके प्रबंधन कौशल, कर्मचारी हितों के प्रति प्रतिबद्धता और संगठन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के प्रयासों की सराहना की गई। भाटिया ने इस सम्मान के लिए एम्पलॉयर एसोसिएशन ऑफ राजस्थान का आभार व्यक्त किया।

भाटिया कंपनी के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर प्रेम जे को भाटिया बेस्ट एम्प्लॉयर-2026 एसएमएसई केटेगरी अवार्ड से सम्मानित किया गया।

रथ में विराजे भगवान आदिनाथ,शोभायात्रा निकली

कोटा, (निसं)। खानपुर स्थित श्री आदिनाथ दिगम्बर जैन चन्द्रोदय अतिशय क्षेत्र चांदखेड़ी में देवाधिदेव प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ के दो दिवसीय जन्म कल्याणक महोत्सव के दूसरे दिन भव्य कार्यक्रम आयोजित किये गये।

आचार्य विद्यासागर महाराज के शिष्य निर्यापक मुनिपुंगव सुधासागर महाराज के आशीर्वाद व प्रेरणा तथा मुनि निष्पक्ष सागर महाराज एवं मुनिश्री निष्पुह सागर महाराज के सानिध्य में आयोजित इस महोत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। अध्यक्ष हुकम जैन काका ने बताया कि श्री आदिनाथ जन्म कल्याणक महोत्सव के अंतर्गत 12 मार्च को चांदखेड़ी में विविध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन श्रद्धा और उत्साह के साथ किया गया। सुबह 6 बजे प्रभात फेरी के साथ कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। इसके बाद सुबह 8 बजे भगवान आदिनाथ का महा कलशाभिषेक एवं शांतिधारा का आयोजन किया गया, जिसे दिल्ली से पधारे नरेन्द्र कुमार सोगानी एवं समीर जैन दिल्ली परिवार ने श्रद्धापूर्वक पूण्यार्जन किया।

शिक्षा एवं पंचायतीराज मंत्री मदन दिलावर की जन हिताय-जन सुखाय पदयात्रा आज से

कोटा, (निसं)। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर जनता दर्शन के लिए अपने विधानसभा क्षेत्र रामगंजमंडी की पंचायत समिति लाड़पुरा क्षेत्र के गांव में चार दिवसीय जनहिताय जन सुखाय पदयात्रा निकलेंगे। 13 मार्च शुक्रवार से प्रारम्भ होकर यात्रा 16 मार्च को संपन्न होंगी। यात्रा विधानसभा क्षेत्र के 24 गांव से होकर निकलेगी। शिक्षा एवं पंचायतीराज मंत्री तथा रामगंजमंडी के क्षेत्रीय विधायक मदन दिलावर ने यात्रा का नाम जनहिताय- जन सुखाय पदयात्रा रखा है।

मंत्री दिलावर ने आज यहां आयोजित एक पत्रकार वार्ता में मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीणों को राज्य एवं केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाना है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा लगाए गए ग्रामीण सेवा शिविरों का फॉलो अप लेते हुए शिविर के माध्यम से प्राप्त हुई परिवेदनाओं एवं आवेदनों का निस्तारण सुनिश्चित करना तथा अभी भी वंचित रह रहे पात्र लाभार्थियों को चिन्हित कर उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाना है।

मंत्री से दिलावर ने कहा कि कांग्रेस शासन में केवल चाहते लोगों को ही सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता था फिर चाहे वह पात्र हो अथवा नहीं। गांव-गांव में बड़ी संख्या में पात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली योजनाओं से वंचित रखा गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली प्रदेश की भाजपा सरकार चुन-चुन कर गरीब लोगो को सरकारी योजनाओं का लाभ पंहुचा रही है।

प्रदेश में घुमंतु जातियों के 50 लाख से अधिक परिवार निवास करते हैं किंतु उनके कल्याण के लिए कांग्रेस की सरकारों ने कभी सोचा तक नहीं। घुमंतु 32 जातियों मे से अधिकांश जातियों के तो वोटर लिस्ट में नाम तक नहीं थे। प्रदेश की भाजपा सरकार ने पहली बार इन घूमन्तु जातियों के लोगों को स्थाई निवास उपलब्ध कराने के लिए 20 हजार परिवारों को निशुल्क आवासीय पट्टे दिए हैं। अब अगले चरण में इनको प्रधानमंत्री आवास योजना में शामिल कर पक्के मकान बनाकर दिए जाएंगे।

प्रदेश मे बड़ी संख्या मे सरकारी स्कूलों के पास जमीन के पट्टे नहीं होने से ज़मीन पर अतिक्रमण हो जाते थे। अब सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। प्रदेश के 37696 सरकारी स्कूलों को जिला कलेक्टरो के माध्यम से विशेष अभियान चलाकर पट्टे दिए जायेंगे। स्कूलों को ज़मीनों का पट्टा मिलने के बाद भामाशाहों के माध्यम से एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से भवन निर्माण करने में आसानी होगी।

शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा की राजस्थान सरकार देश में पहली बार सभी मंदिरों को उनकी भूमि के पट्टे देने देगी। वर्तमान बजट सत्र में यह घोषणा की गई है। आबादी क्षेत्र मे स्थित सभी मंदिरो को उनकी जमीन के पट्टे दिए जायेंगे। इसमें यह विशेष प्रावधान किया गया है की जमीन के पट्टे पुजारी के नाम ना होकर मंदिर की मूर्ति के नाम होंगे।

इन गांव से होकर निकलेगी यात्रा- नयागांव, डोबड़ा, पादमपुरा, कोथला, थोल पूरा, डडवाड़ा, भंवरिया, कँवरपुरा, हरिपुरा, राँवठा, सोहनपुरा, मोहनपुरा, मंदिर गढ़, केशवपुरा, जसपुरा, किशनपुरा, चाँद बावड़ी, गुजर ढाणी चांद बावड़ी, डोलिया, भेरूपुरा, बोराबास, कोटा डैम की टापारिया, जमुनिया बावड़ी तथा बॉलिंडा शामिल है।

दांडी मार्च दिवस पर युवाओं को सत्य और अहिंसा का संदेश दिया

दांडी मार्च दिवस के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम में प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया।

कोटा, (निसं)। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो, क्षेत्रीय कार्यालय कोटा द्वारा राजकीय महाविद्यालय कोटा के सभागार में दांडी मार्च दिवस के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महाविद्यालय की प्राचार्य प्रो. प्रतिमा श्रीवास्तव ने कहा कि दांडी मार्च केवल एक यात्रा नहीं बल्कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का शक्तिशाली प्रतीक था। इससे यह सिद्ध हुआ कि सत्य और अहिंसा के बल पर भी बड़े से बड़े साम्राज्य को चुनौती दी जा सकती है। उन्होंने युवाओं से अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने और एकता, साहस व दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने का आव्हान किया। राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम जिला समन्वयक एव सहायक आचार्य रीना कुमारी मीणा ने कहा कि महात्मा गांधी का विश्वास था कि अहिंसा और सत्य सबसे बड़ी शक्ति हैं और दांडी मार्च इसी विचारधारा का सबसे बड़ा उदाहरण है।

कार्यक्रम के प्रारंभ में सहायक निदेशक रामेश्वर लाल मीणा ने अतिथियों का स्वागत करते हुए दांडी मार्च की पृष्ठभूमि और प्रभाव की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से 78 साथियों के साथ लगभग 390 किलोमीटर की पदयात्रा प्रारंभ की, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊर्जा प्रदान की। कार्यक्रम के दौरान दांडी मार्च पर मौखिक प्रश्नोत्तरी भी आयोजित की गई, जिसमें सही उत्तर देने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में प्रो अंजू कपूर, सविता गुप्ता, प्रो मंजू बाला यादव, प्रो मीरा भटनागर, प्रो हेमलता गुप्ता, सहायक आचार्य प्रज्ञा गुप्ता, अंजना, राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी डॉ योगेश टेलर, लादू लाल जाट तथा अन्य संकाय सदस्यो के साथ बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं ने भाग लिया।

नाम परिवर्तन

मैंने अपना पुराना नाम विक्रम सिंह नायक से बदलकर नया नाम विक्रम सिंह रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जावे।
पता-विक्रम सिंह पुत्र छोटा सिंह नायक फ्लेट नं. सी-413 स्वराज अपना घर मानपुरा बारां रोड बोरखेडा कोटा

खोया पाया

ख्याति पटेल पुत्री आर एल पटेल आवास संख्या 1/5 स्वामी विवेकानंद नगर का मूल आंवटन पत्र गुम हो गया है किसी को मिलने पर सूचित करें।

आम-सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अचल सम्पत्ति उत्तरी भाग वाके प्लाट सूचित नम्बर-70, स्माल स्केल वेयर हाऊस रोड़, नई धानमण्डी, कोटा, राज., क्षेत्रफल 15 ईंटू 165 फीट = 2475 वर्गफीट है। सम्पत्ति / प्लाट, सम्पूर्ण भगवान रुपरुप गोयल ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 19.03.1998 जिसका पंजीयन दिनांक 01.05.2004 द्वारा हरमोहन सिंह सेठी बहैसियत मुखत्यार आम चरण जीत सिंह से क्रय की। भगवान स्वरुप गोयल ने यू.आई.टी. कोटा के आदेश के क्रम में पत्र क्रमांक 2557, दिनांक 29.12.2004 द्वारा उक्त प्लाट को स्वयं के नाम हस्तांतरण करवा लिया। भगवान स्वरुप गोयल का स्वर्गवास दिनांक 27.11.2009 को हो गया। इनके स्वर्गवास के पश्चात इनके विधिक उत्तराधिकारियों में इनकी पत्नी निर्मल गोयल व दो पुत्र उन्नत गोयल व अमित गोयल उक्त सम्पत्ति के संयुक्त रुप से मालिक, स्वामी, काबिज, अधिकारी हुये। अमित गोयल ने उक्त सम्पत्ति में अपने अविभाजित हिस्से की रिलीज डीड निष्पादित करवाने के बाबत दिनांक 19.10.2010 को उन्नत गोयल के हित में मुखत्यारनामा आम निष्पादित कर दिया। उन्नत गोयल ने उक्त सम्पत्ति में स्वयं के अविभाजित हिस्से, सम्पूर्ण को एवं अमित गोयल के उक्त सम्पत्ति में अविभाजित हिस्से, सम्पूर्ण को बहैसियत मुखत्यारआम अमित गोयल रजिस्टर्ड रिलिज डीड दिनांक 02.11.2010 द्वारा निर्मल गोयल के हित में त्याग कर दिया। इस प्रकार निर्मल गोयल उक्त सम्पत्ति उत्तरी भाग वाके प्लाट नम्बर-70, स्माल स्केल वेयर हाऊस रोड़, नई धानमण्डी, कोटा, राज., क्षेत्रफल 15 ईंटू 165 फीट = 2475 वर्गफीट है, सम्पूर्ण की एकमात्र मालिक, स्वामी, काबिज, अधिकारी हुई। अब निर्मल गोयल उक्त सम्पत्ति उत्तरी भाग वाके प्लाट नम्बर-70, स्माल स्केल वेयर हाऊस रोड़, नई धानमण्डी, कोटा, राज., क्षेत्रफल 15 ईंटू 165 फीट 2475 वर्गफीट, सम्पूर्ण पर मेरी अभिभाष्य वित्तीय संस्था LIC Housing Finance Ltd. से ऋण ले रही है, सर्वसाधारण को उक्त सम्पत्ति के विधिक वारिसान, मालिकाना हक, स्वामित्व, कब्जे व अधिकार पर कोई आपत्ति हो तो सात दिवस में लिखित में मय दस्तावेज सूचित करे अन्यथा आपत्ति शून्य, अप्रभावी व अमान्य समझी जावेगी।

ऋषिकेश महर्षि एडवोकेट (एस. आर. एम. पार्टनर)
पताः- 82, एवरेस्ट विहार, किंग्स रोड, निर्माण नगर, जयपुर, राज.R/1832/2002 मो 9829166036

के.डी.ए. की जनसुनवाई में 35 नए प्रकरण दर्ज

कोटा, (निसं)। कोटा विकास प्राधिकरण में आयुक्त ममता तिवाड़ी की अध्यक्षता में नियमित जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जनसुनवाई के दौरान शहर एवं प्राधिकरण क्षेत्र से आए नागरिकों ने अपनी विभिन्न समस्याएं एवं परिवाद प्रस्तुत किए, जिन पर आयुक्त ने गंभीरता से सुनवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान 35 नए प्रकरण प्रस्तुत किए गए, जिनमें पट्टा जारी करने, नामांतरण, पुनर्वास, अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण से संबंधित शिकायतें, कॉलोनियों में सड़क, पानी एवं लाईट जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने, खाली भूखण्डों की समस्या, सड़क निर्माण तथा आवासीय योजनाओं से जुड़े विभिन्न मामले शामिल रहे।

इन प्रकरणों पर आयुक्त ने संबंधित शाखाओं को आवश्यक जांच कर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही पूर्व जनसुनवाई में दर्ज 30 प्रकरणों, जिनकी सुनवाई हेतु आज की तिथि निर्धारित थी, की भी समीक्षा की गई। इन प्रकरणों में संबंधित अधिकारियों से अब तक की गई कार्यवाही की जानकारी लेते हुए आवश्यकतानुसार आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गएं। आयुक्त ममता तिवारी ने कहा कि जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों का शीघ्र एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाए तथा प्रत्येक प्रकरण में नियमानुसार समयबद्ध कार्यवाही की जाए।

कार्यालय नगर परिषद बारां

क्रमांक : नपबा/तामरी शाखा/2025/12332 दिनांक : 11.03.2026

सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री जय सिंह हाड़ा पुत्र श्री कान सिंह हाड़ा निवासी बारां का आवेदन पुर्नगठन वास्ते प्राप्त हुआ है। जिसमें पट्टा विलेख दिनांक 12.04.2002, भूपट्टी, माप 325.5 वर्गफीट, वाके तेल फेक्ट्री बारां का श्रीमति कुसमलता पत्नी श्री जगदीश चन्द निवासी बारां के नाम जारी किया। तत्पश्चात पट्टाधारक द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 14.02.2018 से उक्त भू खण्ड माप में से 318.43 वर्गफीट को श्री अंकुर नागर पुत्र श्री कुंज बिहारी को बेचान कर दिया। एवं पट्टा विलेख मशमूला मिसल संख्या 124 दिनांक 14.06.1956 भूखण्ड संख्या निल माप 1312 वर्गफीट वाके तेल फेक्ट्री बारां का श्री हरलाल पुत्र श्री मोहनलाल लुहार के नाम जारी किया गया। तत्पश्चात पट्टाधारक द्वारा वसीयतनामा पत्र दिनांक 06.08.1972 से उक्त भूखण्ड माप को श्री जगदीश (पौत्र) पुत्र श्री धूलीलाल को प्राप्त करया दी गई। व जगदीश (पौत्र) पुत्र श्री धूलीलाल द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 14.02.2018 से उक्त भूखण्ड माप 1306.04 वर्गफीट को श्री अंकुर नागर पुत्र श्री कुंज बिहारी को बेचान कर दिया गया। एवं श्री अंकुर नागर पुत्र श्री कुंज बिहारी द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 15.10.2020 से भूखण्ड माप 1624.83 वर्गफीट को श्री जितेन्द्र नागर पुत्र श्री हेमराज नागर को बेचान कर दिया। तत्पश्चात श्री जितेन्द्र नागर पुत्र श्री हेमराज नागर से उक्त भूखण्ड का ऋण की राशि ए.यू स्मॉल बैंक बारां को वापस नही लौटाने पर ए.यू स्मॉल बैंक बारां के अधिकृत अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार सैनी पुत्र श्री मोहनलाल सैनी द्वारा उक्त भूखण्ड को जर्ये सेल सर्टिफिकेट दिनांक 31.03.2025 से जारी किया गया, जिसका पंजीयन उप पंजीयन कार्यालय द्वारा दिनांक 24.12.2025 को श्री जय सिंह हाड़ा पुत्र श्री कान सिंह हाड़ा के पक्ष में किया गया। आवेदक द्वारा इसी आधार पर पुर्नगठन चाहा है, जिसमें भूखण्ड संख्या निल का पुर्नगठन माप 1624.83 वर्गफिट श्री जय सिंह हाड़ा पुत्र श्री कान सिंह हाड़ा के नाम किया जाना है। उक्त सम्पत्ति के संबंध में अन्य किसी को आपत्ति हो तो अन्तर 7 दिवस में आपत्ति मय दस्तावेजो के साथ कार्यालय हजा में प्रस्तुत करे। बाद अवधि गुजर जाने पश्चात आपत्ति मान्य नही होगी।

कार्यालय नगर पालिका छबड़ा जिला बारां

क्रमांक-न.पा.छ./2026/9004 **आपत्ति आमंत्रण सूचना** दिनांक-10.03.2026

सर्वसाधरण को सूचित किया जाता है कि स्ट्रीप ऑफ लैण्ड के अन्तर्गत नगर पालिका कार्यालय में निम्न आवेदनकर्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकरण में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो आपत्ति प्रकाशन के अन्दर म्याद 15 दिवस में मय दस्तावेज प्रमाण पत्र के इस कार्यालय में लिखित रूप में प्रस्तुत कर दें। समयावधि गुजरने के बाद कोई आपत्ति मान्य नही होगी।

क्र. सं.	नाम सम्पत्ति मालिक जिसके नाम दस्तावेज अनुसार सम्पत्ति है।	प्रकरण	पता सम्पत्ति जहाँ स्थित है।
1	2	3	4
	श्रीमती आशा गालव पत्नी श्री अशोक गालव जाति गालव ब्राह्मण निवासी छबडा तह. छबडा जिला बारां (राज.)	स्ट्रीप ऑफ लैण्ड	प्रेम नगर में स्थित भूखण्ड संख्या 91 (25+30/2X20=550 वर्गफीट) के पूर्व दिशा में स्थित भूखण्ड साईज 4X20/2=40 वर्गफीट

नोटः- उपरोक्त स्ट्रीप ऑफ लैण्ड के तहत भूमि आवंटन के संबंध में किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह प्रकाशन तिथि के अन्दर म्याद 15 दिवस तक अपनी आपत्ति लिखित में न.पा. छबडा में प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित अवधि गुजरने के बाद कोई भी आपत्ति मान्य नही होगी। सूचित रहे।

अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका छबडा

कार्यालय नगर पालिका सांगोद जिला कोटा (राज.)

क्रमांक/न.पा.सा./भूमि/2025-26/656 प्रारूप-10 (नियम 6 (7)) दिनांक-5.3.26

लोक सूचना

श्री मोहम्मद ईकबाल गोरी पुत्र बशरूद्दीन जाति मुसलमान निवासी चारहाटडी मोहल्ला सांगोद ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन (आवासीय) के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। अर्थात्

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा सं.	गैर कृषि प्रयोजन का उपयोग	क्षेत्र
तहसील सांगोद जिला कोटा	सांगोद	2692/2276	आवासीय कालोनी (ओम शिव धाम)	मूल खसरा क्षेत्रफल 0.67 हेक्टर अर्थात 6700 वर्ग मीटर (आवासीय प्रयोजनार्थ)

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञ